पत्र सूचना शाखा

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0

राज्यपाल ने विश्वविद्यालय कार्यपरिषद में न्यायिक सदस्य नामित किये

लखनऊ 5 फरवरी, 2019

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री राम नाईक ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा-20 की उपधारा-1(जी) के अन्तर्गत प्रदेश के 11 विश्वविद्यालयों में कार्यपरिषद में (न्यायिक) सदस्य नामित किये हैं। यह नामांकन दो वर्ष की अवधि अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पूर्व हो, के लिये मान्य होगा।

कुलाधिपति ने डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद के लिये न्यायमूर्ति श्री भारती सप्रू को, डॉ0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा के लिये न्यायमूर्ति श्री नारायण शुक्ला को, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी के लिये न्यायमूर्ति श्री अरविन्द कुमार त्रिपाठी को, छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर के लिये न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना पाण्डया को, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी के लिये न्यायमूर्ति श्री पंकज मित्तल, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ के लिये न्यायमूर्ति श्री वी0के0 दीक्षित (से0नि0) को, चैधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ के लिये न्यायमूर्ति श्री सुनीत कुमार को, वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर के लिये न्यायमूर्ति श्री उमेश द्विवेदी को, महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली के लिये न्यायमूर्ति श्री खेम करन (से0नि0) को, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के लिये न्यायमूर्ति श्री डी0पी0 सिंह (से0नि0) को तथा ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी-फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ के लिये न्यायमूर्ति श्री शबीहुल हसनैन को सदस्य नामित किया है।

इस आशय की जानकारी राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव श्री हेमन्त राव ने दी है।

अंजुम/ललित/राजभवन (43/6)